FAIRMINE CARBONS PRIVATE LIMITED

GST : 20AAECF1244J1Z4
CIN : U23200JH2020PTC014511
Website : www.fairminegroup.com

ALCOHOL AND DRUG (FIT-FOR-WORK) POLICY

FAIRMINE CARBONS PRIVATE LIMITED is committed to providing a safe, healthy, and productive workplace at the **Rajhara North (Central & Eastern) Coal Block**. We recognize that the use of alcohol or drugs can seriously impair a person's ability to work safely and effectively.

1. Policy Objective

To ensure that all employees, contractors, and visitors are "Fit-for-Work" and are not under the influence of any substance that could jeopardize the safety of themselves or others.

2. Core Rules

- **Zero Tolerance:** Being under the influence of alcohol or illegal drugs while on duty is strictly prohibited.
- **Prohibition on Site:** The possession, use, or sale of alcohol or illegal drugs within the mine boundary is a dismissible offense.
- **Testing:** The company reserves the right to conduct:
    - **Pre-employment testing.**
    - **Random testing** at the mine gate using breathalyzers.
    - **Post-accident testing** following any safety incident.
- **Medication:** Employees taking prescription medication that may cause drowsiness must inform the Mine Medical Officer before starting work.

3. Responsibility

Every individual at Rajhara North has a duty to report any colleague who appears unfit for work due to substance use.

For Fairmine Carbons Private Limited

FAIRMINE CARBONS PRIVATE LIMITED RANCHI

Rajeev Kumar Singh
Director & Nominated Owner *(Under Mines Act, 1952)*

Date: 24 December, 2024
Place: Ranchi, Jharkhand

FAIRMINE CARBONS PRIVATE LIMITED

GST : 20AAECF1244J1Z4
CIN : U23200JH2020PTC014511
Website : www.fairminegroup.com

अल्कोहल एवं ड्रग (कार्य के लिए फिटनेस) नीति

फेयरमाइन कार्बन्स प्राइवेट लिमिटेड **(FCPL)** राजहरा नॉर्थ (सेंट्रल एवं ईस्टर्न) कोल ब्लॉक में एक सुरक्षित, स्वस्थ और उत्पादक कार्यस्थल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम यह स्वीकार करते हैं कि शराब या नशीली दवाओं का उपयोग किसी व्यक्ति की सुरक्षित रूप से कार्य करने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।

1. नीति का उद्देश्य: यह सुनिश्चित करना कि सभी कर्मचारी, ठेकेदार और आगंतुक "कार्य के लिए फिट" हों और किसी भी ऐसे पदार्थ के प्रभाव में न हों जिससे उनकी या दूसरों की सुरक्षा को खतरा हो सके।

2. मुख्य नियम:

- शून्य सहनशीलता **(Zero Tolerance):** ड्यूटी के दौरान शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में होना सख्त वर्जित है।
- साइट पर प्रतिबंध: खदान सीमा के भीतर शराब या नशीली दवाओं को रखना, उपयोग करना या बेचना एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।
- जांच **(Testing):** कंपनी के पास निम्नलिखित जांच करने का अधिकार सुरक्षित है:
  - खदान गेट पर ब्रीथ एनालाइजर के माध्यम से यादृच्छिक (Random) जांच।
  - किसी भी सुरक्षा घटना या दुर्घटना के बाद जांच।
- दवाएं **(Medication):** यदि कोई कर्मचारी ऐसी दवा ले रहा है जिससे सुस्ती आ सकती है, तो काम शुरू करने से पहले उसे खदान चिकित्सा अधिकारी (Medical Officer) को सूचित करना होगा।

3. जिम्मेदारी: राजहरा नॉर्थ में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने किसी भी ऐसे सहकर्मी की रिपोर्ट करे जो नशीले पदार्थों के सेवन के कारण काम के लिए अयोग्य प्रतीत होता है।

कृते फेयरमाइन कार्बन्स प्राइवेट लिमिटेड

FAIRMINE CARBONS PRIVATE LIMITED RANCHI

राजीव कुमार सिंह
निदेशक एवं नामित स्वामी *(खान अधिनियम, 1952 के तहत)*

दिनांक: २४ दिसंबर, २०२४
स्थान: राँची, झारखण्ड